**ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA**
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 172-174**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

# स्वतन्त्रता के पश्चात् महिलाओं की स्थिति

**डॉ0 गीता कुमारी**
ग्राम – जसोइया, पो0 – चरन, जिला – औरंगाबाद (बिहार) भारत

**Received-15.05.2025, Revised-22.05.2025, Accepted-28.05.2025 E-mail : drgita74@gmail.com**

***सारांशः 19वीं और 20वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। जब हम 19वीं शताब्दी की स्त्रियों की स्थिति पर विचार करते हैं, तो पाते हैं कि उस समय धर्म के नाम पर अनेक विधवाओं को जिन्दा चिता में जल कर भस्म होना पड़ता था, बहुत–सी बालिकाओं को जन्म लेते ही गला घोंट कर मार दिया जाता था, पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता था, किन्तु बाल विधवा तक को पुनर्विवाह के अधिकार से वंचित रखा गया था, वहां आज कम से कम लोगों के दृष्टिकोण में तो अवश्य अन्तर आया है। वर्तमान में स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ है। स्त्रियां नौकरी करने, राजनीति में भां लेने और सामाजिक क्षेत्र में काम करने लगी है। अनेक स्त्रियों ने विविध क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाते हुए प्रतिष्ठा प्राप्त की है। लेकिन स्त्रियों की स्थिति में होने वाले परिवर्तन अधिकांशतः नगरीय क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन होना अभी शेष है। जैसे–जैसे नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी और स्त्री शिक्षा का प्रसार होगा, वैसे–वैसे ग्रामीण स्त्रियाँ की स्थिति में भी अवश्य परिवर्तन आएगा।***

***कुंजीभूत शब्द– क्रान्तिकारी परिवर्तन, गला घोंट, पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, नगरीकरण, स्त्री शिक्षा का प्रसार, जातीय गतिशीलता***

भारत में स्वतंत्रा के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। यद्यपि 19वीं शताब्दी से ही स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयत्न होते रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात् अनेक ऐसे परिवर्तन सामने आए जिनके कारण स्त्रियों की अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। इन परिस्थितियों में डॉ0 श्री निवास ने पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण और जातीय गतिशीलता के बढ़ते हुए प्रभाव को प्रमुख स्थान दिया है।[1] इसके अतिरिक्त स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार होने व औद्योगीकरण के फलस्वरूप भी उन्हें आर्थिक जीवन में प्रवेश करने के अवसर प्राप्त हुए। इससे स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता कम होने लगी और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास करने के अवसर मिल। संचार के साधनों, समाचार–पत्रों और पत्रिकाओं का विकास होने से स्त्रियों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करना आरम्भ किया। संयुक्त परिवारों का विघटन होने से स्त्रियों के पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई और सामाजिक अधिनियमों के प्रभाव से एक ऐसे सामाजिक वातावरण का निर्माण हुआ, जिसमें बाल–विवाह, दहेज–प्रथा और अन्तर्जातीय विवाह की समस्याओं से छुटकारा पाना सरल हो गया। इन समस्त कारकों के फलस्वरूप स्त्रियों की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, उसे निम्नांकित क्षेत्रों में स्पष्ट किया जा सकता है।

**शिक्षा में प्रगति–** शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियां इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि 20 वर्ष पूर्व ही इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। स्वतंत्रता से पूर्व तक लड़कियों के लिए न तो शिक्षा–सम्बन्धी समुचित सुविधाएं प्राप्त थीं न ही माता–पिता शिक्षा को आवश्यक समझते थे। इसके फलस्वरूप स्त्रियां रूढ़ियों में ही जीवन व्यतीत कर रही थीं। 1883 में जहां पहली बार एक स्त्री ने बी0ए0 पास किया, अब भारत में अधिकांश लड़कियां विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातकीय और स्नातकोत्तर कक्षाएँ में पढ़ रही हैं। लड़कियों के लिए आज कला और विज्ञान के अतिरिक्त गृह–विज्ञान, हस्तकला, शिल्पकला और संगीत की शिक्षा प्राप्त करने की भी व्यापक सुविधाएं प्राप्त है। मेडीकल कालेजों में लड़कियों की संख्या में नरन्तर वृद्धि हो रही है। शिक्षा के प्रसार के कारण स्त्रियों को बाल–विवाह और पर्दा–प्रथा से तो छुटकारा मिला ही है, साथ ही उन्होंने समाज–कल्याा और महिला–कल्याण में भी व्यापक रुचि दिखलाई है। उच्च स्तर की परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके स्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि उनका मानसिक स्तर पुरुषों से किसी प्रकार भी नीचा नहीं है। शिक्षा की इस प्रगति को देखते हुए श्री पणिकर ने यह निष्कर्ष दिया है– ''स्त्री–शिक्षा ने विद्रोह की उस कुल्हाड़ी की धार तेज कर दी है जिससे हिन्दू–सामाजिक जीवन की जंगली झाड़ियों को साफ करना सम्भव हो गया है।[2] वास्तव में शिक्षा व्यक्ति को विवेकशील बनाने और नए विचारों को जन्म देने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। स्त्रियों मे शिक्षा का विकास होने से वे रूढ़िगत और अपरिवर्तनीय अदर्शों को किस प्रकार स्वीकार कर सकती थीं?

**आर्थिक जीवन की बढ़ती हुई स्वतंत्रता–** स्वतंत्रता के पश्चात्, औद्योगीकरण और नवीन विचारधारा के कारण स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरत लगातार कम होती ही जा रही है। स्वतंत्रता से पहले यद्यपि निम्नवर्ग की स्त्रियां अनेक उद्योगों और घरेलू कार्यों के द्वारा कोई जीविका उपर्जित करती थीं, लेकिन मध्यम और उच्च वर्ग की स्त्रियों द्वारा कोई आर्थिक कार्य करना अनैतिकता के रूप में देखा जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात् निम्न वर्ग की स्त्रियों का वेतन और काम के घण्टों में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने से विभिन्न उद्योगों में उनकी संख्या बढ़ी। मध्यम वर्ग की स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त करके अनेक क्षेत्रों की ओर बढ़ना आरम्भ कर दिया। आज शिक्षा, चिकित्सा, समाज–कल्याण, मनोरंजन, उद्योगों और कार्यालयों में स्त्री कर्मचारियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। यद्यपि व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों और औद्योगिक केन्द्रों में भी स्त्री कर्मचारियों की मांग निरन्तर बढ़ती रही और बढ़ रही है। लेकिन भारतीय स्त्री की मनोवृत्ति में अभी आमूल परिवर्तन न हो सकने के कारण वे शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र को ही प्राथमिकता देती है। जीविका उपर्जित करने वाली स्त्रियां आज अन्य स्त्रियों के लिए एक आकर्षण है और आर्थिक स्वतंत्रता के कारण परिवार में उनके महत्व को देख कर अन्य स्त्रियों को भी आर्थिक जीवन में प्रवेश करने का प्रोत्साहन मिला है। वास्तविकता तो यह है कि स्त्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाने के कारण उनके आत्म–विश्वास, कार्यक्षमता और मानसिक स्तर में इतनी प्रगति हुई है कि उनके व्यक्तित्व की तुलना उस स्त्री से किसी प्रकार नहीं की जा सकती जो आज से कुछ वर्ष पहले तक संसार की सम्पूर्ण लज्जा को अपने घूंघट में समेटे हुए और पुरुष के शोषण को सहन करती हुई अपना जीवन घुटन में व्यतीत कर रही थी।

**पारिवारिक अधिकारों में वृद्ध–** परिवार मे स्त्रियों की स्थिति में आज महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आज की स्त्री पुरुष की दासी नहीं बल्कि उसकी सहयोगी और मित्र है, परिवार में उसकी स्थिति याचिका की न होकर बलिक प्रबन्धक की है और अब वह अपने समस्त अधिकारों से वंचित एक निरीह अबला न रह कर अपनी स्थिति के प्रति पूर्णतया जागरूक है। आज की एक शिक्षित स्त्री संयुक्त परिवार में अपने समस्त अधिकारों का बलिदान करके शोषण में रहने के लिए तैयार नहीं है बल्कि वह मूल परिवार की स्थापना

**अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

करके अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग करने के लिए प्रयत्नशील है। बच्चों की शिक्षा, पारिवारिक आय का उपयोग, संस्कारों का प्रबन्ध और पारिवारिक योजनाओं के रूप का निर्धारण करने में स्त्री की इच्छा का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। पुरुषों को दूर करने में स्त्रियां सक्रिय योगदान कर रही हैं। अनेक स्त्रियां तो अपने पारिवारिक अधिकारों के लिए अन्तर्जातीय विवाह और प्रेम विवाह को ही प्राथमिकता देती है। विलम्ब विवाह स्त्रियों में निरन्तर लोकप्रिय होता जा रहा है। आज की स्त्री बच्चों को जन्म देने वाली मात्र एक मशीन नहीं रह गई है, बल्कि वह परिवार नियोजन के प्रति पुरुष से भी अधिक जागरूक है। कुछ व्यक्ति परिवार में स्त्रियों के बढ़ते हुए अधिकारों से इतने चिन्तित हो उठे हैं कि उन्हें पारिवारिक जीवन के ही विघटित हो जाने का भ्मय हो गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि उनकी यह चिन्ता अपने एकाधिकार में होती हुई कमी के कारण ही उत्पन्न हुई है। आज की नयी पीढ़ी तो स्वयं स्त्रियों को उनके पारिवारिक अधिकार देने के पक्ष में है और किसी कारण यदि उन्हें इन अधिकारों से वंचित रखा भी गया, तब आने वाले समय में वे इन्हें अपनी शक्ति से स्वयं ही प्राप्त कर लंगी।

**राजनैतिक चेतना में वृद्धि–** राजनैतिक क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति जिस गति से ऊँची उठ रही है वह वास्तव में सक आश्चर्य का विषय है। 1937 के चुनाव में स्त्रियों के लिए 41 सीटें सुरक्षित होने पर थी केवल 10 स्त्रियां ही चुनाव के लिए सामने आई थीं, जबकि सन् 1957 के चुनाव तक स्त्रियों की राजनैतिक जागरूकता इतनी बढ़ गई कि केवल विधान सभाओं के लिए ही 342 स्त्रियां चुनाव के लिए खड़ी हई। जिनमें 195 निर्वाचित हो गई। 1967 के चुनाव में लोक सभा के लिए 31 स्त्रियों ने चुनाव जीता। रज्य सभा में भी स्त्री सदस्यों की संख्या 24 थीं। श्रीमती सुचेता कृपालानी का उत्तर–प्रदेश में मुख्य मन्त्री बनना एक आश्चर्य की बात थी और 1967 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई, तब पश्चिम के तथा कथित सभ्य समाजों में स्त्रियां जैसे हतप्रभ हो गई। उन्हें पहली बार यह महसूस हुआ कि उनकी राजनैतिक जागरूकता अभी बहुत पीछे है। राज्य सभा में उपसभापति के पद पर श्रीमती वायलेट आल्व व श्रीमती नजमा हेपतुल्ला का होना भी स्त्रियों की राजनैतिक जागरूकता का परिचायक है। चुनावों से यह प्रमाणित हो गया है कि स्त्रियों में भी स्वतंत्र रूप से अपने मत का उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। श्री पणिक्कर का कथन है कि जब स्वतन्त्रता ने पहली अंगड़ाई ली तब भारत के राजनैतिक जीवन में स्त्रियों को जो पद प्राप्त हुआ, उसे देख कर बाहरी दुनिया चौंक पड़ी क्योंकि वह तो हिन्दू स्त्रियों को पिछड़ी हुई, अशिक्षित और प्रतिक्रियावादी सामाजिक व्यवस्था में जकड़ी हुई समझने की अभ्यस्त थी। स्त्रियों ने अपनी राजनैतिक शक्ति का पूर्ण सदुपयोग करके मध्यकाल की रूढ़ियों को समाप्त करने तथा स्त्रियों को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनीय कार्य किए हैं।

**सामाजिक जागरूकता–** आज स्त्रियों में काफी सामाजिक जागरूकता आ चुकी है, अब वे पर्दे में सिमटी हुई अपने आपको घर की चहारदीवारी में बन्द नहीं रखतीं। आधुनिक शिक्षित स्त्रियों में जातीय नियमों के प्रति उदासीनता पाई जाती है, वे ऐसे प्रतिबन्धों की अधिक चिन्ता नहीं करतीं। आजकल अन्तर्जातीय विवाह होने लगे हैं, प्रेम विवाहों और विलम्ब–विवाहों की संख्या भी बढ़ रही है। आज भारतीय महिलाएं सामाजिक क्षेत्र में भी आगे आने लगी है। अब वे समाज कल्याण कार्यक्रमों में भां लेती हैं, महिला–मण्डलों का निर्माण और क्लबों की सदस्यता भी ग्रहण करती हैं। आजकल अनेक स्त्रियां रूढ़ियों के चुंगल से मुक्त हो चुकी हैं और स्वतन्त्रता के वातावरण में सांस ले रही हैं। श्री के0 एम0 पणिक्कर ने स्त्रियों की बदलती हुई सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में लिखा है – ''भारत के लिए कुछ मेधावी स्त्रियों के द्वारा प्राप्त की गई उल्लेखनीय सफलता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वह परिवर्तन जो ग्रामों, ग्रामीण क्षेत्रों, वर्गों और जातियों में, जिन्हें आज तक रूढ़िवादी या पिछड़ा हुआ माना जाता था, में हुआ है। वहां प्रथा और रूढ़िवादिता द्वारा लादे गए सामाजिक बन्धों से भी स्त्रियों को मुक्त किया जा चुका है।[3] डॉ0 एम0एन0 श्रीनिवास ने स्त्रियों की बदलती हुई स्थिति के लिए पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण एवं जातीय गतिशीता के बढ़ते हुए प्रभाव को उत्तरदायी माना है।[4]

स्पष्ट है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। जब हम 19वीं शताब्दी की स्त्रियों की स्थिति पर विचार करते हैं, तो पाते हैं कि उस समय धर्म के नाम पर अनेक विधवाओं को जिन्दा चिता में जल कर भस्म होना पड़ता था, बहुत–सी बालिकाओं को जन्म लेते ही गला घोंट कर मार दिया जाता था, पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता था, किन्तु बाल विधवा तक को पुनर्विवाह के अधिकार से वंचित रखा गया था, वहां आज कम से कम लोगों के दृष्टिकोण में तो अवश्य अन्तर आया है। वर्तमान में स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ है। स्त्रियां नौकरी करने, राजनीति में भांग लेने और सामाजिक क्षेत्र में काम करने लगी है। अनेक स्त्रियों ने विविध क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाते हुए प्रतिष्ठा प्राप्त की है। लेकिन स्त्रियों की स्थिति में होने वाले परिवर्तन अधिकांशतः नगरीय क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन होना अभी शेष है। जैसे–जैसे नागरीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी और स्त्री शिक्षा का प्रसार होगा, वैसे–वैसे ग्रामीण स्त्रियाँ की स्थिति में भी अवश्य परिवर्तन आएगा।

डॉ0 पणिक्कर ने सच ही कहा है कि ''स्त्रियों द्वारा हिन्दू जीवन के सिद्धान्तों का पुर्नपरीक्षण आज हिन्दू समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बदली हुई सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति उनके मस्तिष्क की जागरूकता, पूर्णतः असन्तोषजनक आदर्श के प्रति उनमें बढ़ते हुए क्षोभ, परम्पराओं के नाम पर उन्हें स्वतन्त्र जीवन के लिए आवश्यक मौलिक अधिकारों से वंचित रखना, शिक्षा से उत्पन्न होने वाली महत्वकांक्षा और राष्ट्र के जीवन में सम्मिलित होने और उसके भविष्य का निर्माण करने हेतु चल रहे राष्ट्रीय संघर्ष के दो पीढ़ियों के साहासिक अनुभवों आदि ने उन्हें जीवन के आदर्शों का पुर्नपरीक्षण करने की प्रेरणा दी है।[5] आज जिस गति से परिवर्तन हो रहे हैं, स्त्रियों में जिस तेजी से चेतना बढ़ रही है, जिस उत्साह के साथ सामाजिक समानता की उनके द्वारा मांग की जा रही है, उन सबको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान में हिन्दू समाज का पुर्नगठन करना आवश्यक हो गया है। देश में कुछ वर्षों में जो सामाजिक अधिनियम पारित किए गए हैं, शिक्षा के बढ़ने के साथ–साथ उनका हिन्दू समाज पर क्रांतिकारी प्रभाव अवश्य पड़ेगा आज कानून के द्वारा स्त्रियों की निर्योग्यताओं को दूर किया गया है, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के द्वारा स्त्रियों को अधिकार प्रदान किए गए है, न्यायालयों द्वारा अधिकारों की रक्षा भी की जा सकती है। परन्तु यह तभी सम्भव होता है, जब अपने अधिकारों की पूर्ण जानकारी और उनके लिए संघर्ष करने की स्वयं में दृढ़ता हो। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वतंत्र भारत में पारित किए गए सामाजिक अधिनियम स्त्रियों की स्थिति को परिवर्तित करने की दृष्टि से उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं, परन्तु इनका पूर्ण लाभ स्त्रियों को उसी समय मिल सकेगा, जब ग्राम–ग्राम और घर–घर में शिक्षा का व्यापक प्रसार होगा।

डॉ0 ए0 एस0 अल्लेकर ने लिखा है कि ''हमें भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि समय बदल चुका है, तार्किकता और समानता का युग आ चुका है। इसलिए हम प्रस्तावित परिवर्तनों को लाते हुए नवीन परिस्थितियों के साथ स्त्रियों की स्थिति का समायोजन करना चाहिए।[6] स्पष्ट है कि समय के साथ–साथ विचारों, दृष्टिकोणों, व्यवहारों और क्रियाओं में परिवर्तन लाना समाज हित में आवश्यक होता है और हिन्दू समाज आज परिवर्तन की ओर अग्रसर है। प्रो0 कुप्पुस्वामी ने कहा है, ''कानूनी नियोग्यताओं के दूर

होने और शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने से, एक स्वतन्त्र प्रजातन्त्र में स्त्रियां अब अपना उचित स्थान ले रही हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश स्त्रियां आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अभी भी पूरी तरह से भाग नहीं ले रही हैं क्योंकि उन्हें शिक्ष का लाभ नहीं मिल पा रहा है और पुराने सामाजिक मूल्य अभी भी प्रभावशाली बने हुए हैं, जो उन्हें विविध क्षेत्रों मे भाग लेने से रोक रहे हैं।[7]

अतः यह कहा जा सकता है कि स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रसार, समग्र रूप में जीवन को उन्नत करने में अपूर्व योगदान दे पाएगा।

## संदर्भ ग्रंथ सूची

1. M. N. Srivivas, Social Change in Modern India.
2. के. एम. पणिक्कर, हिन्दू समाज निर्ण के द्वार पर, पृ0 37
3. K. M. Pannikar, “Hindu Social at Cross Roads”, 1955, p. 36
4. M. N. Sri Niwas, “Social Change in Modern India”.
5. K. M Pannikar, Ibid p., 35.
6. A. S. Altekar, “The Position of Women in Hindu Civilisation” 1962.
7. Prof. B. Kuppuswamy, “Social Change in India” 1972, p., 203.

*****